

पूर्व गध्य रेल



कार्यालय आदेश सं०-140/2021

इस कार्यालय के कार्यालय आदेश सं०-82/2021 दिनांक-01.02.21 एवं पत्रांक-का०/227/याँ/समाडी/अनुकंपा/सोन/भाग-1 दिनांक-01.02.21 द्वारा श्रीमती रानी कुमार (W/O स्व०दीनानाथ सिंह Ex.Tech-II/TRD/NNA.) अनुकंपा आधार पर नियमित नियुक्ति समाडी डिपो /वरीनी में हेल्पर (लेवल-01) के पद पर की गई थी परन्तु उक्त पद पर अभ्यर्थी समाडी डिपो /वरीनी में योगदान नहीं किया को इनके पदस्थापना स्थल में परिवर्तन हेतु प्राप्त आवेदन दिनांक-03.02.21 के आलोक में समाडी डिपो /सोनपुर में पदस्थापित किया जाता है।

उपयुक्त अभ्यर्थी समूह 'घ' श्रेणी के कर्मचारीयों पर लागू नियमों से शासित होंगे एवं आवश्यकतानुसार इन्हें प्रादेशिक सेना में सात वर्ष तक या प्रशासन द्वारा निर्धारित किसी भी अवधि तक सेवा करनी होगी। भविष्य में रेल सेवा में बने रहना इनके द्वारा दिए गये अभिलेख के सत्यापन एवं पुलिस द्वारा चारित्रिक जाँच में अनुकूल रहने की शर्त पर निर्भर करेगा।

इनकी नियमित नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मानी जायेगी। ये रेल परिषद् के पत्र सं०-एफ/ई/III/2003/पी-एन/24 दिनांक -31.12.2003 के अनुसार 01.01.2004 से लागू नये पेंशन नियम के तहत शासित होंगे।

उपरोक्त अभ्यर्थी का फोटो हस्ताक्षर का नमूना एवं बाये हाथ के अंगूठे का निशान राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित है।

	<p>रानी कुमारी</p>
<p>अधिकारी /सोनपुर</p>	

उपरोक्त पदस्थापना पर वमयाँई/समाडी सोनपुर का आदेश प्राप्त है।

(रवि कुमार पंडित)  
सकाधि-II  
कृते मरेप्र(का०)सोनपुर  
दिनांक-25.02.2021

- पत्रांक-का०/227/याँ/नियुक्ति-अनुकम्पा / टेक-III/डेमू शेड/सोन  
प्रतिलिपि - सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:
01. वमयाँई/समाडी, वमविप्र/सोनपुर
  02. वमयाँई, सि०से०ई०/समाडी /सोनपुर
  03. मुखकार्यधि-बिल/सोनपुर- 04. सम्बंधित कर्मचारी
  05. मंडल मंत्री /ईसीआरकेयू, ओबीसी, अजा-अजजा एशो०/सोनपुर मंडल

कृते मरेप्र(का०)सोनपुर